न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः— कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 153/2018 **दायर दिनांकः 07/08/2018**

उनवान

1. रामपाल उम्र 55 वर्ष पुत्र माधोलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम रहलाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0) **वादी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अटरू तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

आदेश दिनाक :12/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वादी के खाते एवं कब्जे की ग्राम रहलाई तहसील अटरू जिला बारां में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 52 की ख0नं0 301, 325, 333, 366 कुल तीन किता की 2.82 है0 खातेदारान चौथमल पिता माधोलाल जाति चमार ग्राम रहलाई तहसील अटरू का हिस्सा बांट बराबर में दर्ज खाता चली आ रही है जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 की नकल वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। उक्त भूमि की जमाबन्दी बदलते वक्त वादी का नाम उक्त जमाबन्दी में रामपाल के स्थान पर चौथमल दर्ज कर दिया। सही नाम चौथमल के स्थान पर रामपाल दर्ज करने की कृपा करें। वादी का नाम सही रामपाल है फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में वादी का नाम रामपाल ही दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम चौथमल व अन्य पहचान पत्रों एवं राशन कार्ड में वादी का नाम रामपाल दर्ज होने से वादी को काफी परेशानी का सामना करना पडता है। बैंक आदि से ऋण प्राप्त नही कर सकता है। किसी की जमानत आदि देने में भी असमर्थ है। वादी ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में चौथमल के स्थान पर रामपाल दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होने साफ मना कर दिया और माननीय न्यायालय मे दावा पेश करने की हिदायत दी है। बिना सहायता न्यायालय वादी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना नाम चौथमल के स्थान पर रामपाल दर्ज नही करा सकेगा जिससे वादी को अनेकानेक परेशानियों का

सामना करना पडेगा ऋण आदि प्राप्त नही कर सकेगा जिससे आर्थिक रूप से पिछड जावेगा। इस कारण वादी इस आशय की घोषणा करा पाने का अधिकारी है कि उसका नाम चौथमल के स्थान पर रामपाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी चौथमल उर्फ रामपाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद घोषणा नाम संशोधन का होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू का प्रतिवादी बनाया जाकर यह वाद पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम चौथमल दर्ज होने एवं वादी द्वारा प्रतिवादी से चौथमल के स्थान पर रामपाल दर्ज करने का निवेदन करने एवं उनके द्वारा दिनांक 06.06.2018 को साफ मना करने पर अन्तिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त रिकार्ड एवं पक्षकारान तहसील क्षैत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावेंः–

(अ) राजस्थान रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम चौथमल के स्थान पर रामपाल घोषित किया जाकर जमाबन्दी में चौथमल के स्थान पर रामपाल दर्ज किया जावे विकल्प में निवेदन है कि चौथमल उर्फ रामपाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें।

(ब) अन्य न्यायाचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई, प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया कि वादी का सेटलमेन्ट बंदोबस्त में चौथमल दर्ज तथा पंचायत प्रमाण पत्र पटवारी रिपोर्ट राशन कार्ड, आधार कार्ड, व बोटर आई0डी0 के अनुसार चोथमल व रामपाल एक ही व्यक्ति का नाम है। लेकिन चोथमल के नाम सी0बी0आई0 शाखा अटरू का रहन दर्ज है। बैंक स्वीकृति बाद शुद्ध करने में आपत्ति नही है।

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 के बयान लेखबद्ध किये, तथा रिकार्ड EXP करवाया गया।

अभिभाषक वादी की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि रिकार्ड अनुसार वादी का नाम चोथमल के स्थान पर रामपाल घोषित किया जावें तथा विकल्प मे चौथमल उर्फ रामपाल दर्ज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम रहलाई की खाता संख्या 52 किता 3 रकबा 2.82 है0 भूमि शामलाती खाते मे दर्ज है। जा छीतर, चोथमल पुत्र माधो के नाम दर्ज है। प्रस्तुत दस्तावेज राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का परिचय पत्र, ग्राम पंचायत मूण्डला बिसोती का प्रमाण पत्र, अनुसार वादी का नाम रामपाल दर्ज है। चोथमल व रामपाल एक ही व्यक्ति होना प्रमाण पत्र मे कथन किया गया है।

अतः न्यायहित में आपसी सहमति से वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—ःक्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम एवं माल रहलाई में खाता संख्या 52 किता 3 रकबा 2.82 है0, शामलाती खातेदार चोथमल पुत्र माधो के स्थान पर चोथमल उर्फ रामपाल पुत्र माधो दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाते है, रहन का नोट यथावत दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 153/2018

उनवान

1. रामपाल उम्र 55 वर्ष पुत्र माधोलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम रहलाई तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अटरू तह0 अटरू जिला बारां
प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X...............................
बहाजिर :–
वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी वाके ग्राम एवं माल रहलाई में खाता संख्या 52 किता 3 रकबा 2.82 है0, शामलाती खातेदार चोथमल पुत्र माधो के स्थान पर चोथमल उर्फ रामपाल पुत्र माधो दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाते है, रहन का नोट यथावत दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 12.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.01 14:45:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: